संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर

ब्लाक–चार, प्रथम एवं द्वितीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर 492002

फोनः 0771 – 2412840, 2413423, फैक्सः 0771 2412849 Email: dgm.cg@nic.in

2661-87

क्रमांक /खनि /न.क. /2015, नया रायपुर, दिनांक 14 MAY 2015

प्रति,

उपसंचालक/खनि अधिकारी
जिला कार्यालय
जिला ....
(छ.ग.)

विषयः– छत्तीसगढ गौण खनिज नियम 2015 के तहत जारी दिशा–निर्देश।

छत्तीसगढ गौण खनिज नियम 2015 के तहत उत्खनन प्लान एवं अनुमोदन से संबंधित निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. छत्तीसगढ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 24 के तहत गौण खनिजों का उत्खनन, अनुमोदित उत्खनन योजना के तहत किये जाने को बंधनकारी किया गया है । जिसके तहत इन नियमों के लागू होने के पूर्व से बिना अनुमोदित उत्खनन प्लान के उत्खनन संक्रियाएँ की जा रही थी, ऐसे उत्खनन पट्टेधारी को भी इन नियमों के लागू होने की तिथि (दिनांक 27.03.2015) से एक वर्ष के भीतर अनुमोदित उत्खनन योजना प्रस्तुत करना होगा।
2. नियम 27 के अनुसार उत्खनन योजना का अनुमोदन, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
3. संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा नियम 25 के तहत् अधिकृत व्यक्ति (आर.क्यु.पी) के द्वारा उत्खनन योजना तैयार किया जायेगा।
4. आर.क्यू.पी. हेतु आवेदन, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, ब्लाक डी, नया रायपुर को विभागीय वेबसाईट में उपलब्ध आवेदन के प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन के साथ शैक्षाणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ पासपोर्ट साईज के तीन कलर फोटोग्राफ के साथ किया जायेगा।
5. छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 की कोई भी बात नियम 03 (एक) अनुसार साधारण रेत निकालने के लागू नही होगी। रेत खदान का संचालन नियम 03 (छः) के तहत् समय समय पर संशोधित छ.ग. गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश, 2006 के तहत् ही होगा। जिसके लिये रेत निकासी योजना तैयार करने एवं अनुमोदन किये जाने हेतु छत्तीसगढ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.01.2014 अनुसार ही किया जायेगा।
6. अनुसूची–एक के भाग 'ख' के खनिजो हेतु उत्खनन योजना का अनुमोदन अपर संचालक एवं एवं संचालक द्वारा अधिकृत ऐसे संयुक्त संचालक, जो भू–विज्ञान विषय के साथ स्नातकोत्तर अथवा मायनिंग इंजीनियरिंग की उपाधि धारण करते हों, के द्वारा किया जायेगा।
7. अनुसूची–एक के भाग 'ग' एवं अनुसूची–दो के भाग 'क' के खनिजो के लिये उत्खनन योजना का अनुमोदन जिले में पदस्थ उप–संचालक (खनि प्रशासन)/खनि अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। जिलो में तकनीकी दक्षता रखने वाले खनि अधिकारी पदस्थ न होने की स्थिति में संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म में पदस्थ खनि अधिकारी/उपसंचालक(खनि प्रशा.) द्वारा अनुमोदन किया जायेगा।

(हस्ताक्षर) 11/05/15
संचालक

2688-89

पृ.क्र. /खनि /न.क. /2015, नया रायपुर, दिनांक 14 MAY 2015

1. सचिव,छत्तीसगढ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर)
संचालक

संचालनालय
भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर – 492002
–आदेश–

11 4 MAY 2015
नया रायपुर दिनांक

क्रमांक 2690......, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, गौण खनिजो (साधारण रेत, ग्रेनाईट एवं संगमरमर को छोड़कर) के उत्खनन हेतु उत्खनन योजना अनुमोदन करने के लिए निम्नलिखित तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :–

स.क.	कार्य / शक्तियॉ	अधिकारीगण
1	2	3
1	अनुसूची–एक के भाग ख' एवं 'ग' तथा अनुसूची–दो के भाग 'क' के (साधारण रेत, ग्रेनाइट एवं संगमरमर को छोड़कर) के खनन हेतु मायनिंग प्लान का अनुमोदन।	1. अनुसूची–एक के भाग 'ख' के खनिजो हेतु उत्खनन योजना का अनुमोदन अपर संचालक एवं संचालक द्वारा अधिकृत ऐसे संयुक्त संचालक, जो भू–विज्ञान विषय के साथ स्नातकोत्तर अथवा मायनिंग इंजीनियरिंग की उपाधि धारण करते हों, के द्वारा किया जायेगा। 2. अनुसूची–एक के भाग 'ग' एवं अनुसूची–दो के भाग 'क' के खनिजो के लिये उत्खनन योजना का अनुमोदन जिले में पदस्थ तकनीकी अर्हता धारित उप– संचालक (खनि प्रशासन)/खनि अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। जिलो में तकनीकी दक्षता रखने वाले खनि अधिकारी पदस्थ न होने की स्थिति में संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म में पदस्थ तकनीकी अर्हता धारित उपसंचालक(खनि प्रशा.)/खनि अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जायेगा।

11/05/15
संचालक
भौमिकी एवं खनिकर्म